न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5673/2002/भरतपुर</u>

1. निरती पुत्र ठाकुर लाल ब्राहमण
2. जगन पुत्र ठाकुर लाल ब्राहमण
   निवासीगण ग्राम धिलावटी तहसील कामां जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. दाऊ दयाल उर्फ दाउजी पुत्र ठा. कुरलाल ब्राहमण
2. हेमन्त कुमार पुत्र प्यारे
3. चमेली पत्नी प्यारे ब्राहमण
4. हरि पुत्र ठाकुर लाल ब्राहमण
5. गोपाल प्रसाद पुत्र ठाकुर लाल ब्राहमण
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 24.10.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 54 के अन्तर्गत ग्राम धिलावटी स्थित आराजी कुल किता 23 रकबा 5.23 भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 25–8–1998 से खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी दाऊदयाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–6–1999 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 29–02–2000 से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। इस निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–07–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलाथीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादी ने विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि होना कथन करते हुए विभाजन का वाद प्रस्तुत किया किन्तु वादी ने विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि होने बाबत् कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि विवादित आराजी का पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका है, जिसके आधार पर पक्षकारान काबिज काश्त होने से बंटवारा का वाद चलने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसके विधिवत् विभाजन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने राजस्व

अभिलेख अनुसार विवादित आराजी के बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि पक्षकारान के मध्य कभी कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ। उनका कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रत्येक इंच भूमि पर सहखातेदारों का कब्जा माना जावेगा। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 54 के अन्तर्गत ग्राम धिलावटी स्थित आराजी कुल किता 23 रकबा 5.23 भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी प्रदर्श–पी–1 सम्वत् 2048–51 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर प्यारे, हट्टी, दाऊ जी, निरोती, जगन व गोपाल पिसरान ठाकुर लाल साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है तथा पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। जहां तक अधिवक्ता

अपीलार्थीगण का यह कथन कि पूर्व में विवादित आराजी का मनबट बंटवारा 25वर्ष पूर्व हो चुका है, स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योंकि बंटवारे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है, ना ही लैण्डहोल्डर तहसीलदार की मनबट बंटवारे बाबत् कोई सहमति ली गयी है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है, जिसका एक सहखातेदार को विधिवत् बंटवारा किये जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज होने से प्रत्येक सहखातेदार का विवादित आराजी में 1/6 –1/6 हिस्सा है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख में मद्देनजर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह मानते हुए कि विवादित आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, विवादित आराजी का विधिवत् बंटवारा होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं

है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयें द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने का प्रश्न है, विवादित आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। केवल मात्र तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बंटवारा राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से ही होगा। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार ही पारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 26-07-2002 एवं 29-02-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य